

**कार्यालय अधिष्ठाता,
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**

कार्यालय दूरभाष नं. : 07662-241655

ई-मेल : deanmcrewa@rediffmail.com

फैक्स नं. : 07662-251167

वेबसाइट : www.ssmcrewa.ac.in

क्रमांक/ 1950 / पैरामेडि./एम.सी./2025

रीवा, दिनांक : 24/1/25

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश विज्ञापन सह-नियमावली

रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के आदेश पृष्ठांकन क्र./F-56(1)/कालेज/A23G0099/102/2025 भोपाल, दिनांक 15.01.2025 के अनुक्रम में स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये विभिन्न स्ववित्तपोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन MP Online के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:-

I. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:-

| | |
|---------------------------------------|--|
| आवेदन प्रारंभ की तिथि | 29 जनवरी, 2025 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 04 फरवरी, 2025 |
| आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि | 05 फरवरी, 2025 |
| स्कूटनी/काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि | 11 एवं 12 फरवरी |
| काउंसिलिंग स्थल | डी.एन.एस.चौधरी हॉल चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.) |
| आवेदन शुल्क | अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को रु. 700/- तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के अभ्यर्थी को रु 500/- (MP Online Portal Charge अतिरिक्त देय होगा) |

II. पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का विवरण:-

| क्र. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम | पाठ्यक्रम की अवधि | स्वीकृत सीट |
|------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1. | MEDICAL LAB TECHNICIAN | DIPLOMA | 02 वर्ष | 30 |
| 2. | X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN | DIPLOMA | 02 वर्ष | 10 |
| 3. | ANAESTHESIA TECHNICIAN | DIPLOMA | 02 वर्ष | 20 |
| 4. | MICROBIOLOGY | DIPLOMA | 02 वर्ष | 20 |
| 5. | CATH LAB TECHNICIAN | DIPLOMA | 02 वर्ष | 10 |
| 6. | DIALYSIS TECHNICIAN | DIPLOMA | 02 वर्ष | 20 |
| 7. | DIPLOMA IN PFT TECHNICIAN | DIPLOMA | 02 वर्ष | 10 |
| 8. | OPTROMETRIC REFRACTION | DIPLOMA | 02 वर्ष | 15 |
| 9. | ORTHO TECHNICIAN | CERTIFICATE | 01 वर्ष | 20 |
| 10. | E.C.G. TECHNICIAN | CERTIFICATE | 01 वर्ष | 20 |
| 11. | O.T. TECHNICIAN | CERTIFICATE | 01 वर्ष | 10 |
| 12. | HEALTH INSPECTOR | CERTIFICATE | 01 वर्ष | 10 |
| 13. | HOSPITAL MEDICAL RECORD SCIENCE | CERTIFICATE | 01 वर्ष | 10 |

नोट :- आवेदन करने हेतु विस्तृत जानकारी तथा नियम एवं निर्देश चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.in एवं mponline की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।



DEAN

श्याम शाह **SSMCREWA (M.P.)** रीवा (म.प्र.)


शिवम कुमार

प्रभारी शिक्षक, पैरामेडिकल अनुभाग


डॉ० लोकेश मिश्रा

मोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग

पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का संवर्गवार वितरण निम्नानुसार है :-

| SHYAM SHAH MEDICAL COLLEGE , REWA (M.P.) PARAMEDICAL COUNSELING (ACADEMIC YEAR 2023-24) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|------------------------------------|
| S.No | Course | Total Seats | Inservice (10%) | | | | | | Open Quota (90%) | | | | | | PwD (5%) Seat of Total Seats |
| | | | UR (40%) | ST (20%) | SC (16%) | OBC (14%) | EWS (10%) | Total | UR (40%) | ST (20%) | SC (16%) | OBC (14%) | EWS (10%) | Total | |
| 1 | Diploma in Medical Lab Technician | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 (3F) | 5 (2F) | 4 (1F) | 4 (1F) | 3 (1F) | 27 | 1 |
| 2 | Diploma in X-Ray Radiographer Technician | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (1F) | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 3 | Diploma Anaesthesia Technician | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 (2F) | 4 (1F) | 3 (1F) | 3 (1F) | 2 | 18 | 1 |
| 4 | Diploma Microbiology Technician | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 (2F) | 4 (1F) | 3 (1F) | 3 (1F) | 2 | 18 | 1 |
| 5 | Diploma Cath Lab Technician | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (1F) | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 6 | Diploma Dialysis Technician | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 (2F) | 4 (1F) | 3 (1F) | 3 (1F) | 2 | 18 | 1 |
| 7 | Diploma in PFT Technician | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (1F) | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 8 | Diploma Optometric Refraction Technician | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 (2F) | 3 (1F) | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| 9 | Certificate Ortho Technician | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 (2F) | 4 (1F) | 3 (1F) | 3 (1F) | 2 | 18 | 1 |
| 10 | Certificate ECG Technician | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 (2F) | 4 (1F) | 3 (1F) | 3 (1F) | 2 | 18 | 1 |
| 11 | Certificate OT Technician | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (1F) | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | Certificate Health Inspector | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (1F) | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 13 | Certificate Hospital Medical Record Science | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (1F) | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |

Note :- 1. Seats indicated in PwD quota is included in all category of concerned course. Candidate selected in PwD quota will be considered for that category and accordingly the seat will be deducted from that category.

2. For the admission of academic session 2023-24, the gazette notification of Govt. of MP under Takniki Shiksha Kaushal Vikash evam Rojgar Vibhag Bhopal Dated - 10 May 2023 taken into consideration.

डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नीटल अधिकारी

DEAN
SSMC, REWA (M.P.)

6. मैरिट सूची में अंक समान होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जावेगी :-
 - (क) उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जावेगी।
 - (ख) यदि अंक एवं उम्र समान पायी जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले को वरीयता दी जावेगी।
 - (ग) यदि अंक, उम्र एवं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में अंक समान है तो जीव विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले को वरीयता दी जावेगी।
7. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में सीट आवंटित होने के पूर्व आवेदकों को मैरिट के आधार पर स्कूटनी/डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिये आमंत्रित किया जावेगा। जिसकी सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.in पर प्रदर्शित की जावेगी। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के उपरांत ही आवेदक काउंसिलिंग के लिए पात्र होंगे।
8. काउंसिलिंग की तिथि में किसी भी प्रकार का बदलाव होने की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.in पर प्रदर्शित की जावेगी। अतः समस्त आवेदक नियमित रूप से महाविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
9. आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2024 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
10. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 10 मई 2023 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।
11. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को स्कूटनी/काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदक को स्कूटनी/काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त म.प्र. का मूल निवासी होने संबंधी निर्वास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक को स्कूटनी/काउंसिलिंग के दौरान स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं प्रवर्जन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. आवेदक को काउंसिलिंग के दिन पाठ्यक्रम आवंटन के समय ही समस्त शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम को अगली मेरिट वाले छात्र/छात्रा को आवंटित कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। पाठ्यक्रम शिक्षण अवधि के बीच में छोड़ने की स्थिति में शिक्षण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस देय नहीं होगा।
16. आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में प्रवेशित विद्यार्थियों को म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं का लाभ शासकीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार संचालित योजनाओं के अधीन पात्रता नियमानुसार प्राप्त होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति विलम्ब से अथवा स्वीकृत नहीं की जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं जमा कराना होगा तथा इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत संचालित समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान छात्र को किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन तथा नियमित नौकरी (सेवारत अभ्यर्थी को छोड़कर) करने की पात्रता नहीं होगी। छात्र को इस आशय का शपथ-पत्र रु. 100/- के नॉन ज्युडिसियल स्टॉम्प में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. विभागीय कर्मचारियों के लिए शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल/संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेगी।
19. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए म.प्र. राज्य के मूलनिवासी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदकों को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी आवेदकों को ही दिया जाएगा।
20. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट-कम-आप्लान के आधार पर काउंसिलिंग की जायेगी:-
 1. विभागीय कर्मचारी
 2. एस.टी. श्रेणी
 3. एस.सी. श्रेणी
 4. ओ.बी.सी. श्रेणी
 5. जनरल मेरिट

24/11/24
डॉ० लोकाेश त्रिपाठी
मोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग

DEAN
SSMC, REWA (M.P.)


यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

- (a) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
- (b) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
- (c) अगर एस.टी. ओर एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।
- (d) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के वर्णों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

21. जिस पाठ्यक्रम में 05 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।-
22. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है जिसका पूर्ण अधिकार संस्था को होगा।
23. शिक्षण शुल्क जमा होने के बाद किसी भी स्थिति में वापस देय नहीं होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
24. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय रीवा (म.प्र.) होगा।
25. प्रवेश के समय स्थानांतरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानांतरण एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा काउंसिलिंग के समय जमा शिक्षण शुल्क वापस नहीं की जावेगी।
26. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, सम्बद्धता शुल्क एवं शासन द्वारा निर्धारित बीमा शुल्क पृथक से देय होगा।
27. प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग (ओ.बी.सी. एवं ई.डब्ल्यू.एस.) के आवेदकों को अपने अभिभावकों के आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जमा करना अनिवार्य होगा।
28. स्क्रूटनी/डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:00 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा 01 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 05 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर स्क्रूटनी एवं काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी।
 - (a) 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)
 - (b) 12वीं की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)
 - (c) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
 - (d) माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
 - (e) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
 - (f) अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
 - (g) ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - (h) दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - (i) 05 पासपोर्ट साइज फोटो।
 - (j) विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूलप्रति।


अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सक DEAN, रीवा (म.प्र.)
SSMC, REWA (M.P.)



डॉ० लोकेश त्रिपाठी

सहायक अधीक्षक

पैरामेट्रिकल लैबोररी